अध्याय–10

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

संख्या-7/पि0वर्ग-21-04/2003का0-4987/ रॉची, दिनांक- 04 सितम्बर, 2003 ई0 ।

जी0एस0आर0-2, पिछड़े वर्गो के लिये राज्य आयोग अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 12, 1993) की धारा 17 की उप-धारा (2)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-(1) यह नियमावली झारखण्ड राज्य पिछड़े वर्गो के लिये राज्य आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन एवं शर्त्ते) नियमावली 2003 कहलायेगी ;

(2) झारखण्ड राज्य में गठित पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग में नियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों के योगदान देने की तिथि से ही पद प्रभावी माना जायेगा ।

2. परिभाषाएँ- जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों, इस नियमावली में-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 12, 1993 यथा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत)

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग ।

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2)(क) के अधीन नाम निर्दिष्ट आयोग का अध्यक्ष ।

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है ।

(ङ) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये है ।

3. वेतन एवं भत्ते:- (1) अध्यक्ष ऐसे वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा जो वेतन एवं भत्ता अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अनुमान्य होगा ।

(2) अध्यक्ष से भिन्न प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन का हकदार होगा जो झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अनुमान्य होगा ।

(3) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश/ असैनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति की स्थिति में अंतिम प्राप्त वेतन घटाव पेंशन देय होगा ।

4. <u>श्रेणी और प्रतिष्ठा</u> :- अध्यक्ष एवं सदस्यों को झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अनुरूप श्रेणी अनुमान्य होगी ।

5. <u>सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर मूल सेवा से निवृत्ति</u> :- वैसे सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में थे, उन्हें आयोग के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख के प्रभाव से ऐसी सेवा से निवृत्त माना जायेगा ।

6. <u>छुट्टी</u> :- अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित रूप से छुट्टी का हकदार होगा -

(क) समय-समय पर यथासंशोधित झारखण्ड सेवा संहिता के अनुसार उपार्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी और परिवर्त्तित छुट्टी ।

(ख) समय-समय पर संशोधित झारखण्ड सेवा संहिता के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों को यथाअनुमान्य असाधारण छुट्टी ।

7. <u>पेंशन</u> :-

(1) ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह के भीतर या अधिवर्धिता की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह था, उस सेवा पर लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएँ प्राप्त करने का हकदार होगा जो (यथास्थिति) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दशा में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके वेतन में से सकल पेंशन की समतुल्य राशि की, जिसमें पेंशन का कोई भाग जो रूपान्तरित हुआ हो और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घटा दिया जायेगा, तथा वह अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ पृथकतः करने का हकदार होगा ।

(2) अध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और यदि वह उप-नियम(1) में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं

करता हो, तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा की गणना ऐसी नियुक्ति के तुरन्त पहले या जिस सेवा में रहा हो उस पर लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिए की जायगी ।

(3) ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को कोई पेंशन देय नही होगा जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदग्रहण करने के तुरन्त पहले केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं रहा हो ।

8. <u>भविष्य निधि</u> :-

(1) ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और जिसे सामान्य भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि की सुविधाएँ मिली हुई थी वह इस निधि में एक सीमा तक अंशदान चालु रख सकेगा जिस तारीख को वह अपने नियमों के अनुसार सेवा निवृत्त नहीं हो जाता है । अंशदायी भविष्य निधि की दशा में उस निधि में देय नियोजक का अंशदान आयोग में अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति की तारीख से, उन परिलब्धियों के आधार पर आयोग द्वारा देय होगा जो वह नियुक्ति के तुरन्त पहले धारित पद पर प्राप्त कर सकता ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :- इस उप-नियम के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने वाला सदस्य अपनी नियुक्ति के छः माह के भीतर राज्य सरकार को लिखित रूप में अपना विकल्प संसूचित करेगा और इस प्रकार प्रयुक्त विकल्प अन्तिम होगा ।

(2) ऐसा अध्यक्ष या कोई सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय-

(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार के सेवा में रहा हो, और जिसने ऐसी नियुक्त के पूर्व जिस सेवा में वह था, उस पर लागू नियमों के अधीन अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएँ प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा-

(ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार का किसी स्थानीय निकाय अथवा सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले या नियंत्रित अन्य प्राधिकार की अधीनस्थ सेवा से सेवा निवृत्त हो चुका हो, अथवा,

(iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय अथवा सरकार द्वारा पूर्णत: या सारत: स्वामित्व वाले किसी अन्य प्राधिकार की सेवा में नही रहा तो,

वह अंशदायी भविष्य निधि योजना की प्रसुविधा में सम्मिलित किये जाने का हकदार होगा और इस प्रयाजनार्थ समय-समय पर यथा संशोधित अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियमावली, 1962 द्वारा शाषित होगा ।

9. <u>अवशिष्ट उपबंध</u> :-

(1) अध्यक्ष की जिनकी सेवा शर्त्तो के लिए इस नियमावली में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है वे इस प्रकार होगी -

(क) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने की दशा में सेवा शर्त्ते वही होगा जो यथा स्थिति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को अनुमान्य है, और

(ख) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने की दशा में सेवा शर्त्ते वही होगी जो समय-समय पर यथासंशोधित जॉच आयोग/समिति में नियुक्ति होने पर सेवा निवृत्त न्यायाधीशों के वेतन निर्धारण एवं अन्य शर्त्तो से संबंधित सरकारी अनुदेशों के अधीन अनुमान्य है ।

(2) इस नियमावली में सदस्यों के जिन सेवा शर्त्तो के लिए स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है वे वही होंगी, जो समय-समय पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निमित्त लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(मुखत्यार सिंह),
सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक-7/पि0वर्ग-21-04/2003का0-4987/ रॉची, दिनांक- 04 सितम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची/ महालेखाकार, बिहार, पटना/ को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/पि0वर्ग–21–04/2003का0–4987/ रॉची, दिनांक– 04 सितम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को अधिसूचना के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित, अनुरोध है कि अधिसूचना की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को उपलब्ध करायी जाये ।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/पि0वर्ग–21–04/2003का0–4987/ रॉची, दिनांक– 04 सितम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/ सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्तो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ सभी राज्य लोक उपक्रम पैरिरूपद/ परिषदों/ निगमों/ निकायों को इस अधिसूचना से अवगत करायें ।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/पि0वर्ग–21–04/2003का0–4987/ रॉची, दिनांक– 04 सितम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रॉची/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/ झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक–7/पि0वर्ग–21–04/2003का0–4987/ रॉची, दिनांक– 04 सितम्बर, 2003 ई0 ।

प्रतिलिपि– श्री लोक नाथ प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।